<u>न्यायालयः अपर जनपद न्यायाधीश, कक्ष संख्या–03, एटा।</u>

उपस्थित– 'कमालुद्दीन' एच0जे0एस0

J.O. Code U.P. 2690

UPET010055512025

सिविल निगरानी संख्या–66/2025

1– श्रीमती बैकुन्ठी देवी उम्र करीब 65 वर्ष पत्नी नवाब सिंह

2– बैहरूल इस्लाम उम्र करीब 40 वर्ष पुत्र नवाब सिंह

3– अमीरूल इस्लाम उम्र करीब 33 वर्ष पुत्र नवाब सिंह

4– मुजाहिदुल इस्लाम उम्र करीब 32 वर्ष पुत्र नवाब सिंह

निवासीगण–ग्राम बारथर, परगना एटा–सकीट, तहसील व जिला एटा।

-----निगरानीकर्तागण/वादीगण

–बनाम–

1– मुईनुल इस्लाम उम्र करीब 38 वर्ष पुत्र सईद अहमद खाँ

2– साबिर अली उर्फ दिनेश प्रताप सिंह उम्र करीब 55 वर्ष पुत्र बीरबल

निवासीगण–ग्राम बारथर, परगना एटा–सकीट, तहसील व जिला एटा।

------विपक्षीगण/प्रतिवादीगण

<u>03.08.2026</u>

प्रस्तुत सिविल निगरानी, निगरानीकर्तागण की ओर से मूलवाद संख्या–451/2008, बैकुन्ठी देवी बनाम मुईनुल इस्लाम में न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०), कक्ष संख्या–22, एटा के द्वारा पारित आदेश दिनांकित 30–05–2025 के विरूद्ध योजित की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विपक्षीगण की ओर से कागज संख्या 8सी1 के माध्यम से विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश दिनांकित 14–07–2026 प्रस्तुत किया गया है। उक्त आदेश दिनांकित 14–07–2026 के माध्यम से विद्वान विचारण न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०), एटा ने मूलवाद संख्या–451/2008 बैकुन्ठी देवी बनाम मुईनुल इस्लाम को वादी की अनुपस्थिति एवं प्रतिवादी की उपस्थिति में निरस्त किया गया है। चूँकि मूलवाद निस्तारित हो चुका है, इसलिए सिविल निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है। तद्नुसार बिना गुण–दोष पर विचार किये निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>–आदेश–</u>

निगरानीकर्तागण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत सिविल निगरानी संख्या–66/2025 बैकुन्ठी देवी बनाम मुईनुल इस्लाम बिना गुण–दोष पर विचार किये निरस्त की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर जनपद न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–3, एटा।

Digitally signed by KAMALUDDIN
Date: 2026.08.03 16:16:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court